प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

06.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

''मुख्य समाचार''

- आपदा में लापता लोगों को जल्द मृत घोषित करने के नियमों में बदलाव करेगी राज्य सरकार–दो सालों में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में 41 लोग लापता।
- प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 2 हजार 3 सौ 84 आवेदनों को किया रद्द।
- मुख्यमंत्री ने कहा–बीबीएमबी जलाशय से पीने व सिंचाई का पानी उठाने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं।
- प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद आईजीएमसी शिमला में फिर से मिलेगी ओपीडी की सुविधा।

प्रश्नकाल

प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा में लापता होने वाले लोगों को जल्द मृत घोषित करवाने के लिए नियमों में बदलाव करवाने का प्रयास करेगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा में लापता हुए लोगों को लेकर विधायक नंद लाल द्वारा पूछे गए एक सवाल के दौरान दखल देते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में पिछले कुछ समय से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है और बार–बार आपदाएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि नियमों में लापता लोगों को सात साल बाद ही मृत घोषित किया जा सकता है। इससे जहां संबंधित परिजनों को भारी दिक्कतें होती हैं, वहीं मृतकों के प्रति भावनाएं भी नहीं रहती। इससे पहले मूल सवाल का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में पिछले दो सालों में अभी तक आई प्राकृतिक आपदा में अभी भी 41 लोग लापता हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत आपदा में लापता हुए लोगों को मृत घोषित करने के लिए सात साल का इंतजार करना पड़ता है। विधायक राकेश जम्वाल, सुखराम चौधरी, रणधीर शर्मा, पवन काजल और विनोद कुमार द्वारा पूछे गए संयुक्त सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 2 हज़ार 3 सौ 84 आवेदनों को रद्द कर दिया है।

सरकार ने ये आवेदन करने वाली महिलाओं को अपात्र पाया है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। शांडिल ने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में एक परिवार से सिर्फ एक महिला को ही 15 सौ रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय 28 हज़ार 2 सौ 49 महिलाओं को 15 सौ रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। शांडिल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही

कुल 2 लाख 45 हज़ार 8 सौ 81 महिलाओं को पहले मिल रही पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में इस साल जनवरी माह से एक हज़ार 6 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 15 सौ रुपए की राशि दी जा रही है और इस पर अभी तक एक करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 31 जुलाई तक इस योजना के तहत प्रदेश में 7 लाख 88 हज़ार 7 सौ 84 महिलाओं ने 15 सौ रुपए की राशि के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में इस योजना के तहत 22 करोड़ 84 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। विधायक कुलदीप सिंह राठौर के सवाल के जवाब में राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार का है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आयात शुल्क बढ़ाने को लेकर कई बार केंद्र से पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में केंद्र ने कोई कदम नहीं उठाया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिका से आने वाले सेब पर आयात शुल्क को और कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में 32 देशों से सेब का आयात हो रहा है और विदेशों से आने वाले सेब पर रोक लगाने की भी मांग की गई है, ताकि हिमाचल और अन्य राज्यों के सेब बागवानों को उचित मूल्य मिल सके। विधायक अनुराधा राणा के सवाल के जवाब में लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि किन्नौर के भावानगर से लाहौल–स्पीति के काजा के लिए पिन वैली होते हुए वैकल्पिक मार्ग बनेगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्पीति घाटी के लियो बाईपास सड़क मार्ग को बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए की और जरूरत है और धन का प्रबंध कर इस मार्ग का निर्माण किया जाएगा।

मॉनसून सत्र

प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन बढ़ा दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति के बाद मानसून सत्र को एक दिन और बढ़ाने की घोषणा की। मानसून सत्र की अब कुल 11 बैठकें होंगी और सत्र 10 सितंबर तक चलेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सत्र को बढ़ाए जाने का समर्थन किया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बीबीएमबी जलाशय से पीने और सिंचाई का पानी उठाने के लिए किसी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल अपने हिस्से का 7 दशमलव एक–नौ फीसदी पानी बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र के उठा सकता है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक राकेश जम्वाल द्वारा नियम–62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने सदन में इस संबंध में एक अधिसूचना भी रखी। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना को कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी जिलों के उपायुक्तों को भी भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के ईएनसी को भी भेजा जाएगा, ताकि वह बिना किसी रोकटोक के पानी की स्कीमों को तैयार कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य में बीबीएमबी जो भी आपत्तियां लगा

रहा है, उसका मसला बीबीएमबी प्रबंधन से उठाया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पंडोह डैम का संचालन उचित मानकों पर नहीं किया जा रहा है। जिस वजह से पिछली बरसात में निचले क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। उन्होंने कहा कि बरसात में बग्गी सुंदरनगर नहर में रिसाव की भी घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा सिल्ट, गाद का सुकेती खड्ड में छोड़ा जाना भी एक समस्या बनी हुई है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

इस बीच विधायक रणधीर शर्मा द्वारा श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रही बिजली की समस्या को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को क्वालिटी बिजली उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही हेल्पर और टी–मेट के एक हज़ार पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पद नियमित आधार पर भरे जांएगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक सरकार इन पदों को भर नहीं लेती, तब तक आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने माना कि प्रदेश में बिजली की लो वोल्टेज की समस्या एक गंभीर विषय है और इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रही है। वहीं सदन में नियम 63 के तहत विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि में से एक हजार बीघा भूमि पर्यटन विभाग को ट्रांसफर करने के मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दखल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हर निर्णय सोच समझकर और विवेकपूर्ण ढंग से लेते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय की यह जमीन लेने का फैसला कर लिया है और इसे पर्यटन विभाग के नाम ट्रांसफर किया जाएगा।

ओपीडी

प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद अब आईजीएमसी शिमला में फिर से ओपीडी की सुविधा शुरू होगी। उच्च न्यायालय ने लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने में आ रही दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चमियाना में ओपीडी बंद करने के आदेश जारी किए थे। अदालत के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आईजीएमसी में अब तुरंत प्रभाव से लोगों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और यूरोलॉजी की ओपीडी सुविधा मिलेगी।

सम्मान

चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरगट के रसायन प्रवक्ता सुनील कुमार को कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा है। बचपन में पोलियो के कारण दिव्यांग सुनील कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सम्मान मिलने के बाद आकाशवाणी शिमला से बातचीत में सुनील कुमार ने कहा कि वे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- आपदा में लापता लोगों को जल्द मृत घोषित करने के नियमों में बदलाव करेगी राज्य सरकार–दो सालों में प्राकृतिक आपदा में 41 लोग लापता।
- प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 2 हजार 3 सौ 84 आवेदनों को किया रद्द।
- मुख्यमंत्री ने कहा–बीबीएमबी जलाशय से पीने व सिंचाई का पानी उठाने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं।
- प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद आईजीएमसी शिमला में फिर से मिलेगी ओपीडी की सुविधा।